

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 05/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/185

अपीलार्थी	बनाम	उत्तरदातागण
1.राजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी 8 नम्बर विद्यालय के पास बालोतरा		1.सरपंच ग्राम पंचायत जेरला 2.मृतक रामाराम के वारिसान 2/1.गोगाराम पुत्र रामाराम जाति राईका निवासी जेरला
2.उम्मेदसिंह पुत्र पुखराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना		तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 3.श्रीमति देशू पत्नि गोगाराम जाति राईका निवासी जेरला
3.घनश्याम पुत्र भेरूलाल खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा		तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध नामान्तरकरण
संख्या 2838 जो सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा आदेश दिनांक 13.3.2024 को स्वीकृत
किया गया।

उपस्थिति :-

- 1.श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता अपीलार्थी
- 2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 2 व 3
- 3.उत्तरदाता संख्या 01 एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक 12.09.2025



1.संक्षिप्त में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 692/123 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टर भूमि रामा पुत्र पेमा जाति राईका की खातेदारी मे अवस्थित थी। रामा पुत्र पेमा जाति राईका द्वारा विवादित भूमि के रक्षण व बेचान की कार्यवाही करने के लिए श्री गोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी साल्ट तहसील पचपदरा के पक्ष मे दिनांक 11.2.2023 को आम मुख्त्यारनामा(पावर ऑफ अटॉर्नी) निष्पादित करवाया गया। आम मुख्त्यारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) के आधार पर श्री गोपालसिंह द्वारा पृथक पृथक चार बेचाननामो के द्वारा विवादित भूमि का बेचान अपीलान्टस के पक्ष मे किया गया तथा उक्त बेचाननामो के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2832 भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जेरला को पेश किया गया,सरपंच ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जेरला द्वारा नियमों से परे जाकर नामान्तरण संख्या 2832 अस्वीकृत किया गया। उतरदाता संख्या 1 व 2 से साजिश के तहत अपीलाटस को उसके हक हकूको से वंचित रखने के लिए दिनांक 12.3.202 को उतरदाता संख्या 02 ने अपनी पुत्रवधू उतरदाता संख्या 03 के पक्ष में द्वितीय बवशीशनामा पंजीबद्ध करवाया गया और अगले ही दिन दिनांक 13.3.2024 को हल्का पटवारी द्वारा आलोच्य नामान्तरण संख्या 2838 भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जेरला को पेश किया गया, सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा उसी दि नहीं आलोच्य नामान्तरण को स्वीकृत कर दिया गया, जो कि अपीलाटस के हितों के साथ भारी कुठराघात किया गया है, उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से अन्दर मयाद अपील पेश की गई। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की गई।

2. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा उतरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से वकालतनामा पेश कर अपीलार्थी की अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर अपीलार्थी की अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया। उतरदाता संख्या 01 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 692/123 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि रामा पुत्र पेमा की खातेदारी में अवस्थित थी। रामा पुत्र पेमा द्वारा विवादित भूमि के रक्षण व बेचान की कार्यवाही करने हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी गोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत के पक्ष में दिनांक 11.02.2023 निष्पादित की गई। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री गोपालसिंह ने विवादित भूमि में अपीलांट संख्या 01 को 1.10 बीघा भूमि, अपीलांट संख्या 02 को 2.10 बीघा, 2.10 बीघा कुल 05 बीघा भूमि व अपीलांट संख्या 03 को 1.00 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 15.02.2024 को उप पंजीयक कार्यालय जसोल में पंजीबद्ध करवाए गए। वक्त खरीद



अपीलांटस् को मौके पर कब्जा सुर्पुद किया गया। अपीलांटस् का वक्त खरीद से आदिनांक पर कब्जा-काशत चला आ रहा हैं। अपीलांटस् की ओर से बेचाननामों की प्रति हल्का पटवारी रामसीन को दी गए। हल्का पटवारी रामसीन द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर अपीलांटस् के पक्ष में आलोच्य नामान्तरण भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जेरला के समक्ष पेश किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत जेरला को रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर भरा गया नामान्तरण स्वीकृत किए जाना चाहिए था, लेकिन उतरदाता संख्या 01 को उतरदाता संख्या 02 के प्रभाव में आकर नियमों से परे जाकर आलोच्य नामान्तरण खारिज कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आपत्तिकात् उत्तरदाता संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टस को उसके विधिक अधिकारो से वंचित रखने के लिए साजिश के तहत द्वितीय दर्स्तावेजात उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा अपनी पुत्रवधू उत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष मे बिना प्रतिफल प्राप्त किए बक्शीशनामा दिनांक 12.3.2025 को निष्पादित करवाया गया। जबकि विवादित भूमि का अपीलान्टस के पक्ष मे पूर्व मे ही बेचान हो रखा है,इस कारण प्रथम दर्स्तावेजात को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाए बिना द्वितीय बेचान अपने आप मे ही शून्य व निष्प्रभावी की श्रेणी मे आता है,लेकिन इसके उपरांत भी हल्का पटवारी रामसीन द्वारा दिनांक 13.3.2024 को आलोच्य नामान्तकरण भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जेरला को पेश किया गया और सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा उसी दिन 01 घण्टे के भीतर आलोच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया,जो कि अपने आप मे आलोच्य आदेश निरस्त योग्य है,क्योकि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना आम सभा की बैठक आयोजित किए एक ही दिन मे अवैधानिक तशके सं आलोच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है,जो कि अपीलान्टस के हिता के साथ भारी कुठाराघात हुआ है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम बेचान अपीलान्टस के पक्ष मे हो रखा है,वक्त खरीद से आदिनांक अपीलान्टस का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है,ग्राम पंचायत जेरला जरिए सरपंच द्वारा प्रथम बेचान की जानकारी होने के उपरांत भी द्वितीय बोकस बक्शीशनामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत कर घोर अन्याय अपीलान्टस के साथ किया गया है,जो कि आलोच्य नामान्तकरण निरस्त योग्य है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि उत्तरदाता संख्या 01 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था,क्योंकि पंजीबद्ध दर्स्तावेजात की अनदेखी करने अथवा पंजीबद्ध विक्रय विलेख की वैधता को चुनौती देकर उन्हे निरस्त करने का कोई विधिक अधिकार सरपंच ग्राम पंचायत जेरला को प्राप्त नहीं था तथा विधि अनुसार पंजीबद्ध विक्रय विलेख को जब तक कोई सक्षम विधिक प्रक्रिया की पालना में अस्वीकृत कर निरस्त नहीं कर दिया जाता है,तब तक वह वैध एवं प्रभावी रहता हैं। इस प्रकार अपीलान्टस का रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र वैध होने के उपरांत भी आलोच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया हैं,जो अपीलान्टस के हितो के साथ भारी कुठाराघात किया गया हैं। इसके अलावा आलोच्य नामान्तकरण पारित किए जाने के पूर्व अपीलान्टस् को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं किया गया और न ही अपीलान्टस् को सुनवाई के नोटिस जारी किए गए। अपीलान्टस् को उसके हक-हकूको से से महरूम रखते हुए आलोच्य नामान्तकरण आदेश पारित किया गया,जो अपीलान्टस के हितो के विपरीत आलोच्य नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है। अतं में निवेदन किया कि अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2838 पर पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 को अपास्त किया जावे।

4.इसके विपरीत उत्तरदाता संख्या 2 व 3 अधिवक्ता की बहस है कि अपीलान्टस् की अपील मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है,क्योंकि विवादित भूमि उत्तरदाता



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रामा पुत्र पेमा की खातेदारी भूमि में अवस्थित थी। जिस पर उत्तरदाता का कब्जा-काश्त चला आ रहा था। उत्तरदाता रामाराम द्वारा कभी गोपालसिंह को विवादित भूमि के रक्षण व बेचान करने की पावर ऑफ अटॉर्नी लिख कर नहीं दी गई थी, बल्कि उत्तरदाता की भूमि की सीमाओं को लेकर अकसर वाद विवाद बना रहता था। इस कारण रामाराम द्वारा अपनी भूमि की तहसीलदार पंचपदरा से सीमाज्ञान कार्यवाही करवाए गए, इसके उपरांत भी विवाद समाप्त नहीं हुआ। तब रामाराम के मिलने वाले गंगारिंह, जो अपीलांटस् से मिला हुआ था और विवादित भूमि को हड़प करने की नियत रख रहे थे। इन्होंने उत्तरदाता रामाराम को विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए कहा गया और नेखमबंदी पत्रावली के साथ अन्य खाली कागजों पर रामाराम के अगुंछ निशान करवा कर, जाला-बाजी व फर्जी तरीके से विवादित भूमि का गोपालसिंह के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 11.02.2023 को बनवाए गए, जो उत्तरदाता रामाराम को धोखे में रखते हुए बनाए गए थी। फर्जी तैयार पावर ऑफ अटॉर्नी का रामाराम के पुत्र गोगाराम को पता चलने पर दिनांक 13.10.2023 को पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त भी रामाराम द्वारा करवा दी गए। इसके उपरांत भी गोपालसिंह ने फर्जी तैयार पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अपीलांटस् के पक्ष में चार पृथक-पृथक बेचान किए गए, जो कि बोकस दस्तावेज की श्रेणी में आते थे, जो कि सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा नामान्तकरण संख्या 2832 आदेश दिनांक 11.3.2024 के द्वारा अस्वीकृत किया गया था। उत्तरदाता रामा विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार था, उस द्वारा उत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में दिनांक 12.3.2024 को बक्शीशनामा निष्पादित करवाया गया और हल्का पटवारी द्वारा बक्शीशनामा के आधार पर आलोच्य नामान्तकरण भरा गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा बाद जांच नामान्तकरण सही होना पाए जाने पर आलोच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जो कि विधि में निहित प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की गई है, क्योंकि उत्तरदाता संख्या 02 रामा द्वारा अपीलाण्टस के पक्ष में कोई बेचान किया ही नहीं था, तो आलोच्य नामान्तकरण रामा द्वारा बक्शीश किए गए दस्तावेजात के आधार पर भरे जाने के कारण गलत होने का प्रश्न ही पैदा होता है। अपीलाण्टस द्वारा बोकस बेचानानामों के आधार पर उत्तरदाता की भूमि को हड़प करने की नियत से ही अपीलाधीन भूमि के संबन्ध में हस्तगत अपील पेश की गई है, जिसमें अपीलाण्टस को कोई हित निहित नहीं है, केवलमात्र अपीलाण्टस उत्तरदाता को परेशान करने की नियत से ही आलोच्य नामान्तकरण के विरुद्ध अपील पेश की गई है, जो कि अपीलाण्टस की अपील चलने योग्य नहीं है। उत्तरदाता को ऐसे अवैध बेचान का पता चलने पर उत्तरदाता रामाराम के पुत्र गोगाराम द्वारा पुलिस थाना जसोल में अपीलांटस् व अन्य के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया, जो कि जांच में विचाराधीन चल रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि उत्तरदाता विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं और खातेदार के हितों के विपरीत विषयक अपील में उत्तरदाता के हितों के



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) जालोतरा

विपरीत जाकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। आलोच्य नामान्तकरण को उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा विधिक में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हरतक्षेप करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उत्तरदाता रामाराम ने अपनी खातेदारी की बक्शीशनामा उत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में किया गया। उक्त बक्शीशनामा के आधार पर नामान्तकरण भी पारित हो चुका है। इस प्रकार अपीलांटस् का विवादित भूमि में कोई हक-हकूक नहीं होने के कारण अपीलांटस् की अपील गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज की जावें।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, दरतावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2838 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरला तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 692/123 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि उत्तरदाता रामा पुत्र पेमा जाति राईका की खातेदारी में अवस्थित थी। अपीलांटस् की ओर से अपील पेश कर मुख्य अनुतोष चाहा गया कि विवादित भूमि पावर ऑफ अटॉनी धारक श्री गोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह पुत्र जाति राजपूत निवासी साल्ट तहसील पंचपदरा द्वारा चार अलग-अलग बेचान अपीलांटस् को दिनांक 15.02.2024 को किए गए, उक्त बेचाननामों के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 2832/24.02.2024 भरा गया, उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा नियमों से परे जाकर नामान्तकरण संख्या 2832 को आदेश दिनांक 11.3.2024 के द्वारा खारिज किया गया। उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा विवादित भूमि का बेचान होने के उपरांत भी विवादित भूमि को द्वितीय बक्शीशनामा अपनी पुत्रवधू उत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में दिनांक 12.3.2024 को निष्पादित करवाया गया, अगले ही दिन हल्का पटवारी रामसीन द्वारा आलोच्य नामान्तकरण भरा गया, सरपंच ग्राम पंचायत जेरला द्वारा उसी ही दिन आलोच्य नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जो कि नियमों से परे जाकर पारित आलोच्य नामान्तकरण आदेश को अपास्त किया जावे। इसके विपरीत उत्तरदाता अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य उज्जर उठाया कि उत्तरदाता रामा को धोखे में रखते हुए फर्जी तरीके से श्री गोपालसिंह द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पावर ऑफ अटॉनी बनाए गई थी, जिसकी जानकारी होने पर उत्तरदाता रामा द्वारा दिनांक 13.10.2023 को पावर ऑफ अटॉनी निरस्त कर दी थी, इसके उपरांत भी श्री गोपालसिंह द्वारा अवैध तरीके से बोकस विक्रय पत्र अपीलांटस् के पक्ष में निष्पादित करवाए गए। उक्त बोकस विक्रय-पत्रों के आधार पर भरा गया आलोच्य नामान्तकरण उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा खारिज किया गया, जो नियमों के तहत आदेश पारित किया गया है। उत्तरदाता रामा विवादित भूमि का खातेदार की हैसियत के तौर पर अपीलाधीन भूमि की बक्शीशनामा उत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में निष्पादित की गए, उक्त बक्शीशनामा के आधार पर आलोच्य नामान्तकरण विधि में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

स्वीकृत किया गया, इस कारण अपीलान्टस की अपील खारिज की जावें। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि विवादित आराजी के संबंध में आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2838/13.3.2024 में पारित आदेश विधि सम्मत् हुआ है अथवा नहीं। न्यायालय हाजा यहां स्पष्ट करना चाहता है कि विवादित भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय-पत्रों की वैधता के बिन्दु का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, उक्त बिन्दु का निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय में उभय-पक्षकारान् उजर-एतराज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात अवलोकन से पाया कि विवादित भूमि के संबंध में मुखत्यारनामा आम(पावर ऑफ अटॉनी) श्री गोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी साल्ट तहसील पचपदरा के पक्ष में निष्पादित हुआ, उक्त पावर ऑफ अटॉनी को नोटेरी पब्लिक अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह महेचा द्वारा दिनांक 11.02.2023 को तस्दीक कर रखा है, जो कि छायाप्रति अवलोकन से प्रतीत होता है। उक्त पावर ऑफ अटॉनी के आधार पर श्री गोपालसिंह द्वारा विवादित भूमि का अपीलांट संख्या 01 को 01.10 बीघा, अपीलांट संख्या 02 को 2.10 बीघा, 2.10 बीघा कुल 5.00 बीघा व अपीलांट संख्या 03 को 01.00 बीघा भूमि का पृथक पृथक चार विक्रय पत्र एक ही दिन दिनांक 15.02.2024 को निष्पादित करवाए गए, उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2832 भरा गया, जो उतरदाता संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत जैरला द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.3.2024 के द्वारा अस्वीकृत किया गया। पत्रावली के संलग्न उपलब्ध दस्तावेजात् पर ध्यान दिए जाने पर पाया कि उतरदाता रामाराम उर्फ रामा पुत्र पेमाराम उर्फ पेमा जाति देवासी निवासी जैरला द्वारा दिनांक 13.10.2023 को केन्सल मुखत्यारनामा आम (पावर ऑफ अटॉनी) निष्पादित किया गया, जिसमें दिनांक 11.02.2023 को मुखत्यारनामा आम (पावर ऑफ अटॉनी) को निरस्त किए जाने की लिखित है, उक्त केन्सल मुखत्यारनामा आम (पावर ऑफ अटॉनी) की भी तस्दीक नोटेरी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह महेचा द्वारा दिनांक 13.10.2023 को तस्दीक की गई है। इस प्रकार यहां स्पष्ट है कि दिनांक 11.02.2023 को निष्पादित मुखत्यारनामा आम (पावर ऑफ अटॉनी) को उतरदाता रामा द्वारा दिनांक 13.10.2023 के मुखत्यारनामा आम (पावर ऑफ अटॉनी) के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तो गोपालसिंह के पक्ष में विवादित भूमि के रक्षण व बेचान करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त ही नहीं था, तो उन द्वारा मुखत्यारनामा आम (पावर ऑफ अटॉनी) के आधार पर विवादित भूमि को बेचान करने का कोई वैधानिक अधिकार बनता ही नहीं था। विषयक प्रकरण में उतरदाता रामा द्वारा विवादित भूमि का बक्शीशनामा उतरदाता संख्या 03 के पक्ष में दिनांक 12.3.2024 को पंजीबद्ध करवाया गया और हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 13.3.2024 को आलोच्य नामान्तकरण संख्या 2838 भरा गया, जो सरपंच ग्राम पंचायत जैरला द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उतरदाता संख्या 03 विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार विवादित भूमि के संबंध में दोहरे दस्तावेजात पंजीबद्ध हो रखे है। विवादित भूमि में



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) जैसलमेर

धीरहा बेचान होने के कारण उभय-पक्षकारान् के हको को हस्तगत प्रकरण में तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है, जिसमें अधिकार स्वत्व हक-हकूक तय नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा आलोच्य भूमि के संबंध में हुए फौजदारी मामला भी अनुसंधान में विचाराधीन होना पक्षकारान् अधिवक्ता में जाहिर किया है। न्यायालय हाजा को आलोच्य नामान्तकरण प्रक्रिया की वैधता पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना होता है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है, कि आलोच्य नामान्तकरण पर पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इस प्रकार समग्र विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि आलोच्य नामान्तकरण में पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय हाजा विधि सम्मत नहीं समझता है, क्योंकि अपीलाटस् की अपील पोषणीय नहीं हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम नामान्तकरण संख्या 2838 दिनांक 13.3.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। उभय-पक्षकारान् विक्रय-पत्रों के संबंध में सक्षम न्यायालय में चारा जौही करने हेतु स्वतंत्र हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 12/09/2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशाकिकम्पार) 12/09/2025
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा